

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक (राजस्थान)

क्रमांक :- ५०४

दिनांक :- 29.06.22

II कार्यालय आदेश II

माह जुलाई-2022 में अग्रलिखित राजकीय अवकाशों के लिए निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई दिनांक को टोंक न्यायक्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) व अन्य आवश्यक प्रकृति के समस्त न्यायिक कार्य एवं प्रोटोकॉल आदि से सम्बन्धित कार्य सम्पादित किए जाने के लिए अधिकृत किया जाता है :-

रिमाण्ड इयूटी :-


क्र. सं.	न्यायालय का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
1.	राजीव चौधरी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह	9610448989	03.07.2022
2.	लोकेश कुमार मीना, अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली	9887783170	09.07.2022
3.	संयोगिता गहलोत, न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली	9636810008	10.07.2022
4.	ज्योति देवी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	9785599527	17.07.2022
5.	स्वाती भगवती, न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूनी	8560001515	23.07.2022
			24.07.2022

प्रोटोकॉल इयूटी :-

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
1.	प्रशांत पूनिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा	9829175166	03.07.2022
2.	अल्का मीना, अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	7414018889	09.07.2022
3.	शांतनु खंगारोत, अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	9429126623	10.07.2022
4.	समीक्षा गौतम, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	9799820956	17.07.2022
5.	फैसल खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	7822911111	23.07.2022
6.	रेशमा जनवानी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा	9829133395	24.07.2022

नोट :- उक्त राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त अन्य दिवस को आकस्मिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में अवकाश घोषित दिवस से पूर्व दिवस को राजपत्रित अवकाश हेतु न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड), अन्य आवश्यक कार्य एवं प्रोटोकॉल आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित किए जाने के लिए अधिकृत न्यायिक अधिकारीगण ही टोंक न्यायक्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) व अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे तथा प्रोटोकॉल इयूटी से सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी प्रोटोकॉल इयूटी करेंगे।

उक्त इयूटी चार्ट में यदि कोई न्यायिक अधिकारी परिवर्तन चाहता है तो इस बारे में अन्य न्यायिक अधिकारी से उक्त दिवस की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करें, तत्पश्चात् ही सम्बन्धित अधिकारी के इयूटी परिवर्तन के प्रार्थना पत्र पर विचार किया जा सकेगा।


29.6.22
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान)